कार्यालय कलेक्टर, जिला–झाबुआ, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उप सचिव मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक / 110 /भू–अर्जन/री–1/2020 झाबुआ, दिनांक 27/1/2020

–: सार्वजनिक सूचना :–

{अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014}

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला–झाबुआ की नहरों के निर्माण हेतु **ग्राम जाम्बुपाड़ा** (पटवारी हल्का नं.–8) तहसील पेटलावद, जिला–झाबुआ (म.प्र.) के खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रं. एफ 12–2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12–11–2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	दीपला पुत्र नन्दीया, बाबु पुत्र नन्दीया थावरीबाई बेवा नन्दीया मँगलसिंह पुत्र थावरिया, रायचन्द पुत्र थावरिया दितुडी बैवा थावरिया जाति गरवाल	187	0.19	-	0.19	
	योग :–		**0.19**	-	**0.19**	

(प्रबल सिपाहा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, झाबुआ

पृष्ठां. क्रमांक / 111 /भू–अर्जन/री–1/2020 झाबुआ, दिनांक 27/1/2020

प्रतिलिपि :–

1– अपर संचालक, विज्ञापन जनसम्पर्क संचालनालय, बाणगंगा रोड़, भोपाल, मध्य प्रदेश की ओर एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

2– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी पेटलावद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

3– सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग झाबुआ (म.प्र.)।

4– जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, जिला–झाबुआ की ओर जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

5– कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं–1 झाबुआ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6– सम्बंधित **ग्राम जाम्बुपाड़ा** एवं **ग्राम पंचायत रूणजी** के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(प्रबल सिपाहा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, झाबुआ